(283)

(391)

भारत पाँच रुपये कोर्ट फी COURT FEE INDIA FIVE RUPEES Rs.5 5 रु.

विलोपित/विलोपित

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R 5138-II/16

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

Rs. 30/-

1. बेवा जयमन्ती देवी पत्नी स्व. रामराज सिंह गोड़, उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती,
2. जगदीश सिंह गोड़ पिता स्व. रामराज सिंह गोड़, उम्र 28 वर्ष, पेशा खेती
3. राघवेन्द्र सिंह गोड़ पिता स्व. रामराज सिंह गोड़, उम्र 22 वर्ष, पेशा खेती
4. संतोष सिंह गोड़ पिता स्व. रामराज सिंह गोड़, उम्र 16 वर्ष, पेशा पढ़ाई बली संरक्षक माता जयमन्ती देवी सिंह गोड़
5. रामबहादुर सिंह गोड़ पिता मनमोहन सिंह गोड़ उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती
6. समर बहादुर सिंह गोड़ पिता मनमोहन सिंह गोड़, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती,

सभी निवासी ग्राम–झगरी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)

--------पुनरीक्षणकर्तागण

दिनांक 14-3-16

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम्

बेवा मृत पत्नी स्व. महादेव हलवाई, उम्र 75 वर्ष, पेशा कृषि –

1. पीताम्बर लाल गुप्ता पिता स्व. महादेव हलवाई,
2. उमेश गुप्ता पिता स्व. महादेव हलवाई
3. प्रदीप गुप्ता पिता स्व. महादेव हलवाई,
4. सुनीता गुप्ता पुत्री स्व. महादेव हलवाई
5. गीता गुप्ता पुत्री स्व. महादेव हलवाई,
6. अमिता गुप्ता पुत्री स्व. महादेव हलवाई
7. सीता गुप्ता पुत्री स्व. महादेव हलवाई,

   सभी निवासी ग्राम–झगरी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)
8. रामसहाय सिंह तनय स्व. रामसखा सिंह गोड़ उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती
9. प्रेमलाल सिंह गोड़ तनय स्व. रामसखा सिंह गोड़ उम्र 40 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम--गुजरेड़, तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)।

---------गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला–सीधी म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र. 08/निग. /2014–15 आदेश दिनांक 13.01.2016.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण के आधार निम्नानुसार हैं:–

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता रामराज सिंह गोड़, रामबहादुर सिंह गोड़, एवं समर बहादुर सिंह गोड़ तीनों के पिता मनमोहन सिंह गोड़ सभी निवासी ग्राम–झगरी, तहसील रामपुर नैकिन जिला–सीधी म0प्र0 के द्वारा स्थित ग्राम–झगरी की भूमि जिसका पुराना खसरा क्र. 175 रकवा 0.032, 176 रकवा 0.660, 185 रकवा 0.101 किता 03 कुल रकवा 0.793 हे. से निर्मित नवीन बन्दोवस्ती खसरा क्र. 382 रकवा 0.024, 385 रकवा 0.040, 381 रकवा 0.001 किता 03 कुल रकवा 0.065 हे0 की भूमि जरिये रजिस्ट्री बयनामा रामसखा सिंह गोड़ तनय तिलकराज सिंह गोड़, निवासी ग्राम–झगरी, तहसील रामपुर नैकिन जिला–सीधी म0प्र0 से दिनांक 12.09.1995 को क्रय किया था तथा उक्त भूमि पर क्रय दिनांक से आज तक निरंतर उक्त भूमि पर काबिज दखील चले आ रहे हैं।
2. यह कि पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्ट्री बयनामा से क्रय करने के पश्चात् नामांतरण हेतु न्यायालय श्रीमान् सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी दल क्र. 02 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय श्रीमान् सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी दल क्र. 2 द्वारा प्रकरण क्र. 88/अ–6/94–95 के तहत पंजीकृत करके पुनरीक्षणकर्तागण के पक्ष में दिनांक 06.10. 1995 को नामांतरण का आदेश पारित कर दिया गया था तथा उक्त आदेश के मुताबिक खसरा वर्ष 1995–96 में पुनरीक्षणकर्तागण का नाम खसरे में दर्ज हो गया था।

XXXIX(a)-BR(H)-11

(283)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5138-II / 16 जिला–सीधी

श्रीमती जयन्ती देवी / पिताम्बरलाल गुप्ता

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 08 / निग0 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	